# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

**(2).** आज दिनाँक 12.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** आज दिनाँक 12.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू निरीक्षक श्री सूर्यकान्त अरुण राय के मार्गदर्शन में , डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद कार्य क्रम में सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन परिसर कर्वी में सघन चेकिंग की गई।

**(4).** आज दिनांक 12.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरिक, आरओ प्लांट, निर्माणाधीन आवासीय बिल्डिंग, क्वार्टर गार्द निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची व 25 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गयी।

**(i).** चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी नागेश कुमार,आरक्षी रविशंकर, महिला आरक्षी मनीषा पाण्डेय द्वारा अभियुक्ता कल्ली देवी पत्नी स्व0 कमलेश निवासी जयपुरिया भवन के पास सीतापुर थाना कोतावाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ तथा अभियुक्त विष्णु पुत्र रामकिंकर निवासी लोसरिया थाना नयागांव चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची के साथ गिरफ्तार किया गय। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

**(ii).** उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनके हमराही राहुल पाण्डेय द्वारा अभियुक्त अरविन्द मिश्रा पुत्र माताप्रसाद निवासी मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री रामसिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. सुशील पटेल उर्फ मंजू पुत्र गणेश उर्फ चमन निवासी बरूई मजरा रुकमा बुजुर्ग 2. लवकुश पटेल पुत्र चुन्नू लाल निवासी बरुई 3. शिवनरेश पुत्र रामगोपाल निवासी तालातीर मजरा मडैयन 4. मुन्नीलाल उर्फ खड़क सिंह पुत्र रामदेव निवासी शहरिन 5. श्याम सुंदर पुत्र रामचरण पटेल निवासी लंका पुरवा 6. चुक्कू यादव पुत्र दादू लाल निवासी बरुई मजरा रुकमा बुजुर्ग 7. रिंकू पटेल उर्फ लवलेश पुत्र शिवप्रसाद निवासी लखनपुर 8. राजकरण पुत्र बच्चा निवासी चोखड़ा मजरा ददरीमाफी 9. सुरेश पटेल पुत्र श्यामलाल निवासी खांच 10. रामहित उर्फ हितुवा पुत्र शारदा प्रसाद निवासी बरूई मजरा रुकमा बुजुर्ग 11. रविदास पुत्र जगन्नाथ निवासी कैलाश थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

**(7).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं 22/2005 धारा 279,337,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त धर्मराज कोल पुत्र भीखम निवासी नाशगवां थाना पनवार जनपद रीवा म0प्र0 तथा मु0नं0 807/2009 धारा 379,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त भवानीदीन पुत्र वासुदेव निवासी बैरागीपुर थाना महेबाघाट जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

**<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>**

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय
2. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

**(8).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2014 धारा 171(ज) भादवि0 व 3/181 व 66(1)/192-ए एमवी एक्ट के आरोपी अभियुक्त महेश कुमार सोनकर पुत्र रामसजीवन निवासी कस्बा व थाना कोतवाली मौदहा जनपद हमीरपुर को 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**(9).** आज दिनाँक 12.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार एवं थाना मारकुण्डी पुलिस बल द्वारा एस0एस0बी फोर्स के जवानों के साथ थाना मारकुण्डी क्षेत्र के कस्बा मारकुण्डी, छेरिया खुर्द, डोडामाफी, बड़ा कोलान, टिकरिया गांव,

टिकरिया रेलवे स्टेशन, इटवां डुडैला, मनगवां एवं बगरहा अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन कर आम जनता को निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान करने हेतु आश्वस्त किया गया।

**(10).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर एवं उनकी टीम द्वारा आपसी मतभेदों को समाप्त कराकर जोड़े की थाना मानिकपुर में शादी करायी गयी।

आवेदिका द्वारा थाना मानिकपुर में प्रार्थना पत्र दिया कि शादी तय होने के बाद लड़का शादी करने से मना कर रहा है। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें थाना मानिकपुर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुलह होने पर लड़का एवं लड़की पक्ष के परिजनों के सामने थाना मानिकपुर स्थित मंदिर में लड़का-लड़की की शादी करायी गयी। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिये खुशी-खुशी शादी साथ-साथ रहने के लिये हुये तैयार।

**(11).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री गजबये आलम तथा उ0नि0 श्री अंशुल कुमार द्वारा मु0अ0सं0 161/2024 धारा 498ए,304बी भादवि0 ¾ डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त अर्जुन प्रसाद पुत्र कल्लू 2.कल्लू पुत्र स्व0 चुनवाद निवासीगण कांड़ीखेड़ा मजरा भीटा खोड़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ख). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी दीपेन्द्र यादव द्वारा वारण्टी अभियुक्त पिन्टू यादव उर्फ तेजगिरी पुत्र शिवकुमार उर्फ कल्लू निवासी खोह पुलिस लाइन गेट के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट स्थायी निवासी सेमरिया कुशल थाना अतर्रा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।